न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 15/2024

बाबूलाल पुत्र भोरी लाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा
..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंथल
2. बनवारी पुत्र भोंरा
3. जगदीश पुत्र भोंरा

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम उदावाला तहसील सैंथल जिला दौसा
..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 17 दिनांक 28.02.1968 द्वारा नायब तहसीलदार दौसा

उपस्थित–1. श्री मक्खन लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता
3. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 02 व 03 की ओर से।

निर्णय　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः26.3.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 28.2.1968 को ग्राम उदावाला का नामान्तरण सं0 77 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 05 मियाद कानून के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट राजस्व रिकार्ड से अनभिज्ञ है जिसको राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी करने की आवश्यकता ही नहीं पडी। प्रार्थी को नामान्तरण जेर अपील के उक्त तथ्य की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की आवश्यकता होने से दिनांक 23.5.2024 को पटवारी हल्का के पाय जमाबंदी की नकल लेने पर उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ जिस पर प्रार्थी ने उक्त नामान्तरण की नकल दिनांक 27.5.2024 को होने पर सर्वप्रथम जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 व 3 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अत्यधिक विलंब से यह अपील पेश की है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट, राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्त रेस्पों. सं0 2 से 3 की बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील में मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम उदावला तहसील सैंथल में स्थित आराजी खसरा नंबर 1, 35 से 38, 4, 5, 52 से 58, 6 कुल किता 16 रकबा 4.71है. का भौरा खातेदार था, जिसके देहान्त के पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरण सं0 17 दिनांक 28.2.1968 को उक्त भौरा के वारिसान के अपीलांट व रेस्पों0 सं0 2 व 3 के नाम खोला गया जिसमें अपीलांट का नाम लोहडा पुत्र भौरा दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलांट की पहचान के समरूत दस्तावेज बाबूलाल के नाम से बने हुए है। इसके बावजूद भी अपीलांट का नाम उक्त नामान्तरण में गलत दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इसलिए भी उक्त नामान्तरण की कार्यवाही अवैध व अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण तस्दीक किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की मजमे आम में कोई कार्यवाही नहीं कहत्री गई इस कारण भी उक्त नामान्तरण की कार्यवाही अवैध व अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी नामान्तरण को तस्दीक किये जाने से पूर्व विधिवत व कानूनन जांच करके नामान्तरण तस्दीक किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना व गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 28.2.1968 को तस्दीक किये गये नामान्रण सं0 17 को निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम लोहडा पुत्र भौरा की जगह बाबूलाल पुत्र भौरा दर्ज कर नामान्तरण खोले जाने के आदेश फरमाये।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण सं0 17 दिनांक 28.2.1968 में सहवन से अपीलांट का नाम बाबूलाल पुत्र भौंरा के स्थान पर लोहडा पुत्र भौरा दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पों. सं0 2 व 3 ने अपीलांट का नाम लोहडा पुत्र भौरा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र भौरा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 17 ग्राम उदावाला का पटवारी हल्का द्वारा भौरा पुत्र छोटू जाति ब्राह्मण के फौत होने पर भौरा की विरासत में वारिसान के नाम जगदीश, बनवारी, लोहडिया के नाम नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई है। तत्पश्चात दिनांक 28.2.1968 को नायब तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट के राशन कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम बाबूलाल पुत्र भौंरीलाल अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 17 वाके ग्राम उदावाला पर नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.1968 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से हाल तहसीलदार सैंथल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

अपीलांट दिनांक 09.04.2025 को न्यायालय तहसीलदार सैंथल के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार सैंथल द्वारा 30 दिवस के अंतर्गत अपना आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested